

“Level in the Pay Matrix
(4)
Level – 6 (Rs.35400-112400/-)”;

(b) in column (11), –

(i) under sub-heading Composite Method (Deputation plus Promotion), –

(A) for the words and figures "pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900", the words, figures and brackets "Level – 2 (Rs.19900-63200)" shall be substituted;

(B) the note shall be omitted;

(ii) under sub-heading Deputation, –

(A) for the words and figures "Pay Band-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2800", the words, figures and brackets "Level – 5 (Rs.29200-92300)" shall be substituted;

(B) for the words and figures "Pay Band-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400", the words, figures and brackets "Level – 4 (Rs.25500-81100)" shall be substituted;

(C) for the words and figures "Pay Band-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900", the words, figures and brackets "Level – 2 (Rs.19900-63200)" shall be substituted;

(D) the note shall be omitted.

[F. No. 9/9/2016-Adm.II]

HAUSUANTHANG GUITE, Under Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 257, dated the 18th October, 2012 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 218, dated the 15th October, 2014.

नई दिल्ली, 30 मई, 2019

**सा.का.नि. 174.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत मंत्रालय में सवार हरकारा के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत मंत्रालय, सवार हरकारा (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2019 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** – भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **आरंभिक गठन :** — इन नियमों के प्रारंभ को या पूर्व पर नियमित आधार पर नियुक्त किए गए सभी पदधारी इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे माने जाएंगे और ऐसे प्रारंभ से पूर्व सवार हरकारा के पद में उनके द्वारा की गई सेवा ज्येष्ठता, पुष्टिकरण और सेवा में प्रोन्नति के लिए उनकी पात्रता विनिश्चायक के लिए विचार में की जाएगी।
5. **निरर्हता : वह व्यक्ति :—**  
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या  
 (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।  
 उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;  
 परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. **शिथिल करने की शक्ति :** — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति :** — इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सवार हरकारा	3* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी
(6)	(7)	(8)
(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के साधारण अभ्यर्थियों के मामले में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के मामले में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	<b>आवश्यक:-</b>  (1) मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं कक्षा या मैट्रिकुलेशन या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या समतुल्य उत्तीर्ण की हो;  (2) मोटरसाइकिल या ऑटोरिक्षा के लिए	लागू नहीं होता



<p><b>टिप्पण:-</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीती जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)</p> <p><b>टिप्पण:-</b> रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा, अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p>विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो;</p> <p>(3) मोटरसाइकिल या ऑटोरिक्षा चालन में दो वर्ष का अनुभव;</p> <p>(4) मोटरसाइकिल या ऑटोरिक्षा के यांत्रिकी का ज्ञान और अभ्यर्थी को यान में छोटी-मोटी त्रुटियों को दूर हटाने के लिए समर्थ होना चाहिए। ; और</p> <p>(5) अंग्रजी और हिन्दी पढ़ने की योग्यता।</p> <p><b>वांछनीय:-</b> होमगार्ड या सिविल स्वयंसेवकों के रूप में तीन वर्ष की सेवा।</p> <p><b>टिप्पण:-</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	
---	---	--

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती या पुनःनियोजन के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति या आमेसन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती- <b>भूतपूर्व सैनिकों के लिए:-</b> प्रतिनियुक्ति या पुनःनियोजन।	<b>प्रतिनियुक्ति/आमेसन</b> विद्युत मंत्रालय में बहु कार्य कर्मचारीवृंद (समूह-"ग") में से ऐसे व्यक्ति जो मोटरसाइकिल या ऑटोरिक्षा के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखते हों, जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में से जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं को पूरा करते हों, नियमित आधार पर ऐसे पदधारियों में से सवार हरकारा या बहु कार्य कर्मचारीवृंद का पद धारण कर रहे हों। <b>भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन</b> सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास सीधे भर्ती किए

		<p>जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अनुभव और अर्हताएं हैं। यदि चयनित हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p> <p><b>टिप्पण 1:-</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2 :-</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह "ग" विभागीय पुष्टि/समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>1. निदेशक अथवा उप सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय अध्यक्ष</p> <p>2. अवर सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय - सदस्य</p> <p>3. अवर सचिव (अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति), विद्युत मंत्रालय - सदस्य</p>	लागू नहीं होता

#### स्पष्टीकारक ज्ञापन:-

उक्त नियमों में निर्दिष्ट पदधारियों की सेवाएं नियमित करने की दृष्टि से आरंभिक गठन के नियम 4 में भूतलक्षी प्रदान किया जाता है और यह प्रमाणित किया जाता है कि नियम 4 को भूतलक्षी प्रभाव से पदधारियों के हित में संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा.सं. 2-9/2/2018-प्रशा. II]

हाउसुआनथांग गुईते, अवर सचिव

New Delhi, the 30th May, 2019

**G.S.R. 174**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Despatch Rider** in the Ministry of Power, namely:-

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Power, Despatch Rider, (Group 'C' Post,) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in pay matrix.-** The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Initial Constitution.-** All the incumbents appointed on regular basis on or before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules and the service rendered by them in the post of Despatch Rider before such commencement shall be taken into accounts for deciding their eligibility for seniority, confirmation and promotion in the service.

**5. Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other Special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Despatch Rider.	3*(2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs.19900-63200).	Not applicable.



Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
<p>Between 18 and 25 years</p> <p>(Relaxable for departmental candidates upto the age of forty years in the case of general candidates and up to forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p>Note 1.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshdweep.</p> <p>Note 2.- The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(1) 10<sup>th</sup> Standard or Matriculation or Industrial Training Institute equivalent pass from a recognised Board or University;</p> <p>(2) Possession of a valid driving licence for Motor Cycle or Autorickshaw;</p> <p>(3) two years' experience in driving Motor Cycle or Autorickshaw;</p> <p>(4) knowledge of Motor Cycle or Autorickshaw mechanism and the candidate should be able to remove minor defects in vehicle; and</p> <p>(5) Ability to read English and Hindi.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers.</p> <p>Note.- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable.

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits or re-employed.	<p>Deputation or absorption failing which by direct recruitment.</p> <p><u>For Ex-servicemen:</u> Deputation or re-employment.</p>	<p><b>Deputation or Absorption:</b></p> <p>From amongst the regular Multi Tasking Staff (Group C) in the Ministry of Power who possess a valid driving licence for Motor Cycle or Autorickshaw; failing which from officials holding the post of Despatch Riders or Multi Tasking Staff on regular basis in other Ministries of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column (7).</p> <p><u>For Ex-servicemen:</u> Deputation or re-employment.</p>

		<p>The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation term upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p>Note 1.-The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p><b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation) consisting of :-</b></p> <p>(1) Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Power - Chairman;</p> <p>(2) Under Secretary ( Administration), Ministry of Power - Member; and</p> <p>(3) Under Secretary (Schedule Caste or Schedule Tribe), Ministry of Power - Member.</p>	Not applicable.

#### Explanatory Memorandum

The retrospective effect of rule 4 is provided in the Initial Constitution with a view to regularise the services of the incumbents referred to in the said rules and it is certified that by giving retrospective effect to rule 4, it is not likely to adversely affect the interest of the incumbents.

[F.No. 2-9/2/2018-Admn.II]

H A USUANTHANG GUITE, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मई, 2019

**सा.का.नि.175.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विद्युत मंत्रालय, स्टाफ कार ड्राइवर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विद्युत मंत्रालय में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 2) और स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 1) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत मंत्रालय, स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 2) और स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 1) भर्ती नियम, 2019 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।